



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1757 / SEIAA/2024

Date: 28/8/2024

कार्यालय आदेश

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के कार्यालय आदेश क्र. 1135-36/SEIAA/2023 दिनांक 16.08.2023 के परिपालन में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों पर 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर परियोजनावार निम्न प्रक्रिया शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

**निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं (Construction Project/Area Development Projects)**

क्र.	निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	50,000 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर तक विकास क्षेत्र	96,631 / -
2.	50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,00,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,93,261 / -
3.	1,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 150 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	2,89,892 / -
4.	1,50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 3,00,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 150 हैक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	3,86,522 / -
5.	3,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र अथवा 200 हैक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	4,83,153 / -

**औद्योगिक, नदी घाटी एवं अन्य गैर खनन परियोजनाएं (INDustrial, River Valley and Other Non-Mining Projects)**

क्र.	परियोजना में कुल पूंजी निवेश (रूपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	25 करोड़ तक	96,631 / -
2.	25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के भीतर	1,44,946 / -
3.	50 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ के भीतर	1,93,261 / -
4.	100 करोड़ से ज्यादा और 300 करोड़ के भीतर	2,41,576 / -
5.	300 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ के भीतर	3,22,102 / -
6.	500 करोड़ से ज्यादा और 1000 करोड़ के भीतर	4,83,153 / -
7.	1000 करोड़ से अधिक	6,44,204 / -

**प्रमुख खनिज उत्खनन (Major Mineral Mining)**

क्र.	माइनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	05 हैक्टेयर तक	32,210 / -
2.	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	64,420 / -
3.	25 हैक्टेयर से ज्यादा और 50 हैक्टेयर के भीतर	96,631 / -
4.	50 हैक्टेयर से ज्यादा और 75 हैक्टेयर के भीतर	1,61,051 / -
5.	75 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर से अधिक	2,41,576 / -

**गौण खनिज उत्खनन (Minor Mineral Mining)**

क्र.	माइनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	05 हैक्टेयर तक	32,210 / -
2.	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	64,420 / -
3.	25 हैक्टेयर से ज्यादा और 50 हैक्टेयर के भीतर	96,631 / -
4.	50 हैक्टेयर से ज्यादा और 75 हैक्टेयर के भीतर	1,61,051 / -
5.	75 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर से अधिक	2,41,576 / -

**अन्य प्रकरण**

क्र.	भवन निर्माण, क्षेत्र विकास, औद्योगिक, नदी घाटी, खनन एवं अन्य गैर खनन परियोजनाएँ	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति (Revised EC), अंतरण/हस्तांतरण (EC/ToR Transfer), EC and TOR वैधता की अवधि विस्तार (Extention of EC/TOR Validity), कम्पनी के विलयीकरण (Amalgamation of Companies) आदि	32,210 / -

पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पर उक्त प्रक्रिया शुल्क की राशि पंजाब नेशनल बैंक खाता क्र. 6310000100024537 में ऑनलाईन (RTGS/NEFT/UPI) के माध्यम से Executive Director, EPCO SEIAA के नाम देय होगी। SEIAA के प्रक्रिया शुल्क में आदेश दिनांक से प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाती है।

(डॉ. सलोनी सिडाना)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1758 /SEIAA/2024  
प्रतिलिपि :-

दिनांक - 28/8/2024

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, महानिदेशक एफको, भोपाल।
3. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण भोपाल।
4. लेखाधिकारी, एफको भोपाल।
5. प्रशासनिक अधिकारी, एफको भोपाल।
6. प्रशासनिक शाखा, SEIAA भोपाल।
7. सर्व संबंधित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदस्य सचिव